कार्यालय– जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, पिथौरागढ़

आदेश संख्या 110 / प्रा0शि0 / 4(2)10 / नियुक्ति स0अ0 / 2022–23 दिनांक 31/5/ 2022

:: नियुक्ति आदेश ::

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित में निहित प्राविधानो एवं निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या प्रारम्भिक शिक्षा –दो(02) / 419 (II) / 2020/ 6118-21/ 2021-22 दिनांक 14.09.2021 एंव पत्रांक प्रा0शि0–दो(02) / 419(II)/ 2020/ 7445-46 / 2021-22 दिनांक 07 अक्टूबर 2021 एवं निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून के पत्रांक – वि0प्र0–10(05) / 2787 / 2022–23 दिनांक 19 मई 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में जनपद स्तर पर गतिमान सहायक अध्यापक प्राथमिक की भर्ती प्रकिया के सापेक्ष बी0एड0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के चयन होने के दशा में एन0सी0टी0ई0 की अधिसूचना दिनांक 29–07–2011 के पैरा0 (II) के उपपैरा (01)(ग) के अन्तर्गत चयनित बी0एड0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों (जिनका लिफाफा माननीय उच्च न्या0 में योजित रिट याचिका संख्या 574 / एस0एस0 / 2019 नीतू पाठक व अन्य के कम में बन्द किये गये थे)को अर्ह अंकों (स्नातक स्तर पर 50 प्रतिशत) में 05 प्रतिशत की छूट प्रदान किये जाने के कम में संबंधित के सम्मुख अंकित स्तम्भ 08 में अंकित विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर वेतन मैट्रिक्स 35400–112400 (लेवल–6) में नितान्त अस्थाई रूप से दो वर्ष के परिवीक्षा काल पर नियुक्ति प्रदान की जाती है यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई है जो किसी भी समय 01 माह पूर्व का नोटिस अथवा 01 माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति मा0उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट यचिका संख्या 903 / 2019 एवं रिट याचिका संख्या 350 / एस0एस0 / 2021 मे पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी। नव नियुक्त शिक्षको को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नही होगा। नव नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 07 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। यह नियुक्ति शासनादेश संख्या 21 / XXVII(07) / अ0पै0यो0 / 2005 दिनांक 25.10.2005 से आच्छादित होगी, अर्थात राजकीय सेवाओं में नयी परिभाषित पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी।यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित याचिका संख्या 574 / एस0एस0 / 2019 मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

क्र0सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	अभ्यर्थी का पता	वर्ग	विद्यालय का नाम जहॉ तैनाती की गई है	ब्लाक	अन्य विवरण
1	ज्योतसना तिरुआ टम्टा	जोगा राम	सितारगंज उ0सि0नगर	अनु0 जाति	रा0प्रा0वि0 गोल्फा	मुनस्यारी	
2	चन्दर सिंह	विशाल सिंह	बल्लूपुर देहरादून	अनु0 जाति	रा0प्रा0वि0 दाड़िमपाटा	धारचूला	

1. कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अपने समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण योग्यता एंव अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां एवं पासपोर्ट साइज के फोटोग्रांफ (एक कागज में चस्पा कर दिनांक सहित राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित की गयी हो) तीन पत्रावलियों में सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगें और मूल अभिलेखों से मिलान भी करवायेंगें।
2. समस्त अभ्यर्थी अन्तिम शैक्षिक/प्रशिक्षण संस्थान एवम् अन्य 02 संभ्रान्त व्यक्ति जिसमें से कम से कम एक राजपत्रित अधिकारी हो से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र जो छः माह से अधिक पुराना न हो भी प्रस्तुत करेंगें।
3. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेंगें।
4. अभ्यर्थी मुख्य चिकित्सा अधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधिक्षक से स्वस्थता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त कर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगें।
5. विवाहित होने की स्थिति मे एक पति अथवा पत्नी होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. भूतपूर्व सैनिक कोटे से चयनित अभ्यर्थी इस आशय का स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करेगे कि इस नियुक्ति से पूर्व किसी अन्य नियुक्ति में भूतपूर्व सैनिक कोटे का लाभ नही लिया गया है।
7. बी0एड0 प्रशिक्षित उत्तीर्ण अभ्यर्थीयों का प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 06 महीने का एक सेतु पाठ्यकम (ब्रिज कोर्स)आवश्यक रूप से पूरा करना होगा।

8. उपरोक्त शर्तो के पूर्ण करने में असफल रहने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

ह0/–
(डी0 सी0 सती)
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, पिथौरागढ़।

पृष्ठांकन संख्या 1727-36 **/प्रा0शि0/4(2)10/ नियुक्ति स0अ0/2022–23 तद्दिनाकिंत**
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1–जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ के अनुपालनार्थ प्रेषित ।
2–निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून ।
3–अपर निदेशक प्रा0शि0 कुमायूँ मण्डल नैनीताल
4–मुख्य शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ ।
5–प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डीडीहाट, पिथौरागढ ।
6–सम्बन्धित कोषाधिकारी/ उपकोषाधिकारी, जनपद–पिथौरागढ़।
7– वित्त अधिकारी प्राथमिक शिक्षा पिथौरागढ़।
8– समस्त उप शिक्षा अधिकारी, जनपद पिथौरागढ़ को इस आशय से प्रेषित कि नवनियुक्त शिक्षक के शैक्षिक, प्रशिक्षण व अन्य प्रमाण पत्रों की जॉच संबंधित संस्थान/बोर्ड/विश्वविद्यालय से अनिवार्यतः 06 माह के अन्तर्गत कराना सुनिश्चित करें।
9– संबंधित प्रधानाध्यापक।
10– संबंधित अभ्यर्थी।
11– आदेश गार्ड फाईल/कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, पिथौरागढ़।